

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
क्षेत्रीय कार्यालय: 65, पानदरीबा, लखनऊ

पत्रांक: IV/अभि0(6-हेमपुर)/रा0बी0नि0-लख0/2014-15

दिनांक: 25.07.2014

निविदा आमन्त्रण सूचना

राष्ट्रीय बीज निगम लि0 द्वारा प्रतिष्ठित वन/लकड़ी ठेकेदारों से जो कि विभिन्न प्रकार के वृक्षों के पातन कार्य के निष्पादन में दक्षता रखते हों व वन विभाग/वन निगम में पंजीकृत हों, वृक्ष की निर्दिष्ट गोलाई के अनुसार वृक्षों की संख्या के सापेक्ष प्रजाति अनुसार दरें आमंत्रित की जाती हैं।

क्रम सं०	वृक्षों का प्रकार	कुल वृक्ष संख्या	वृक्षों की कुल अनुमानित कीमत	कार्य पूरा करने की अवधि	धरोहर राशि (रु० में)	निविदा दस्तावेज का मूल्य (रु० में)
1.	सागौन, कोकाट, शीशम, तुन, अशोक व जामुन	217	30 लाख	एक माह	2 लाख	500/-

1. इच्छुक निविदाकार क्षेत्र प्रबन्धक, रा0बी0नि0, पोस्ट आर0टी0सी0, हेमपुर (निकट काशीपुर) जिला उधमसिंह नगर पिन कोड 244716 अथवा क्षेत्रीय कार्यालय के उपरोक्त पते से किसी भी कार्य दिवस में सोमवार से शनिवार तक निविदा दस्तावेज के मूल्य रु० 500/- (अप्रतिदेय) का भुगतान रोकड़/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट से रा0बी0नि0लि0, लखनऊ के पक्ष में कर दिनांक 09.08.2014 तक प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत निविदा आमन्त्रण सूचना वेबसाइट: www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। इस स्थिति में रु० 500/- का बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीय बीज निगम लि0, लखनऊ के पक्ष में अलग से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा दस्तावेज की बिकी निविदा खोलने की अधिसूचित तिथि से दो दिन पूर्व बंद कर दी जायेगी।
3. निविदा दस्तावेज के साथ उपरोक्त धरोहर राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, लखनऊ के पक्ष में जारी किये गये डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करनी होगी।
4. निविदाएँ दिनांक 12.08.2014 अपराह्न 14:00 बजे तक क्षेत्र कार्यालय, पोस्ट आर0टी0सी0, हेमपुर (निकट काशीपुर) जिला उधमसिंह नगर पिन कोड 244716 में प्राप्त की जावेंगी और उसी दिन अपराह्न 14:30 बजे निविदाकार या उनके प्रतिनिधि जो उपस्थित होने के इच्छुक हों के समक्ष खोली जायेंगी।
5. निविदाएँ केवल निर्धारित प्रपत्र कार्य अनुसूची में ही स्वीकार्य होंगी।
6. निविदा प्रपत्र एवं शर्तें, निर्देश व विनिर्देश में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
7. कार्य को एक या अधिक निविदाकारों के मध्य वृक्ष प्रजाति के अनुसार देने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।
8. किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार कॉरपोरेशन के पास सुरक्षित है, एवं कॉरपोरेशन द्वारा लिया गया निर्णय निविदाकार पर अन्तिम एवं बाध्य होगा।

ह०/-

क्षेत्रीय प्रबन्धक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
क्षेत्रीय कार्यालय: 65, पानदरीबा, लखनऊ

कार्य अनुसूची

कार्य का नाम:- राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हेमपुर के कार्यालय परिसर में स्थित विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की बिक्री व पातन कार्य।

क्रम सं०	वृक्ष प्रजाति	वृक्ष की गोलाई (फुट में)	संख्या	प्रजाति की कुल सं०	उल्लेखित दर (अंकों व शब्दों में)	मूल्य (रु० में)
1.	सागौन	0 - 2	38	184		
2.	सागौन	2 - 3	46			
3.	सागौन	3 - 4	65			
4.	सागौन	4 - 5	33			
5.	सागौन	5 - 6	02			
6.	कोकाट	2 - 3	02	25		
7.	कोकाट	3 - 4	09			
8.	कोकाट	4 - 5	06			
9.	कोकाट	5 - 6	02			
10.	कोकाट	6 - 7	01			
11.	कोकाट	7 - अधिक	05	9		
12.	शीशम	0 - 2	01			
13.	शीशम	2 - 3	05			
14.	शीशम	3 - 4	02			
15.	शीशम	4 - 5	01	4		
16.	तुंग	3 - 4	03			
17.	तुंग	4 - 5	01	3		
18.	अशोक	5 - 6	02			
19.	अशोक	6 - 7	01	2		
20.	जामुन	3 - 4	01			
21.	जामुन	4 - 5	01			

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
क्षेत्रीय कार्यालय: 65, पानदरीबा, लखनऊ

नियम व शर्तें

वृक्षों के विक्रय व पातन के निमित्त नियम व शर्तें

1. निविदादाता को पैन कार्ड व टिन धारक होना आवश्यक है।
2. निविदा के साथ वन विभाग/वन निगम में पंजीकरण की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. दरें स्पष्ट रूप से अंकों व शब्दों में उल्लेख करते हुये प्रजाति अनुसार उल्लेखित होना चाहिए। सभी प्रजाति की एकमुश्त दरें स्वीकार्य नहीं होंगी।
4. वृक्षों के छपान व कटान आदि का शुल्क निविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा।
5. कार्य आदेश के उपरान्त वन विभाग से निकासी व पातन की अनुमति निविदादाता को स्वयं लेनी होगी और ऐसा न कर पाने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त समझी जायेगी।
6. कार्य आदेश देने से 15 दिन के भीतर निविदाकार को स्वयं अनुमति प्राप्त करनी होगी।
7. वन विभाग से अनुमति के उपरान्त उल्लेखित पूर्ण धनराशि निविदाकार को बैंक ड्राफ्ट व जरिये राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पक्ष में जमा कराना आवश्यक होगा।
8. वन विभाग की अनुमति के उपरान्त एक माह के अन्दर पातन का कार्य हर हालत में पूरा करना होगा।
9. धरोहर राशि समस्त कार्य सफलतापूर्वक निष्पादन के उपरान्त क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा वापिस की जायेगी।
10. निगम के कर्मचारी एवं उनके किसी भी प्रकार के सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
11. किसी भी वाद विवाद की स्थिति में निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जो कि सोल आर्बीट्रेटर हैं, का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।